कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीन दयाल उपाध्याय भवन लालकोठी, जयपुर)

पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की लाईसेन्स की शर्तें नीलामी : जून 2013

1. निगम क्षेत्र में स्थित पुलिस छतरियों एवं गुमटियों की नीलामी एक वर्ष (01 अगस्त 2013 से 31 जुलाई 2014 तक) के लिए की जावेगी।
2. पुलिस छतरियों एवं गुमटियों के लिए पन्द्रह लाख रूपये अमानत के रूप में नगर निगम कोष में जमा कराने होंगे जो ठेका समाप्ति अवधि तक जमा रहेंगे।
3. नगर निगम जयपुर में स्थित सम्पूर्ण पुलिस छतरियों एवं गुमटियों की खुली नीलामी एकजाई एक मुश्त की जायेगी।
4. खुली नीलामी के आधार पर शर्तो के अनुसार राशि जमा होने पर अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा। पुलिस छतरियों एवं गुमटियों की नीलामी नगर निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावेगी। नीलामी एक वर्ष के लिए होगी।
5. उच्चतम बोलीदाता द्वारा 25 प्रतिशत राशि अगले कार्यदिवस (24 घण्टे में) को डी.डी./बैंकर्स चैक के द्वारा जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने पर पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर विज्ञापन करने का लाईसेंस जारी किया जावेगा। नीलामी की शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स राशि जमा की प्रति लाईसेंस जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर डी.डी./बैंकर्स चैक के माध्यम से जमा करानी होगी। संवेदक द्वारा नवीनीकरण चाहने पर निगम सहमति से लाईसेन्स शुल्क पर पूर्ववर्ती वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत वृद्धि करके अधिकतम दो वर्ष के लिए बढाई जा सकेगी। आगामी वर्ष (01 अगस्त 2014 से 31 जुलाई 2015 तक) के लिए नवीनीकरण चाहे जाने पर लाईसेंस दिनांक पूर्ण होने से दो माह पूर्व पिछले वर्ष की राशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा नवीनीकरण की स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस में शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि जमा की प्रति जमा करानी होगी। इसी प्रकार वर्ष (01 अगस्त 2015 से 31 जुलाई 2016 तक) के नवीनीकरण के लिये पिछले वर्ष की राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर आने वाली राशि की 25 प्रतिशत राशि के साथ दो माह पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं निगम द्वारा स्वीकृति जारी करने के 30 दिवस के भीतर शेष 75 प्रतिशत राशि एवं केन्द्र सरकार की सर्विस टैक्स की राशि जमा की प्रति जमा करानी होगा। नवीनीकरण की राशि समय पर जमा नही कराने पर ठेका अवधि समाप्ति के दिन ही निरस्त कर दिया जावेगा। समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अगर कोई कर/शुल्क प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है तो उसका वहन लाईसेंसी को करना होगा।
6. नीलामी के पश्चात् उच्चतम बोलीदाता को बोली छूटने के तुरन्त बाद एक चौथाई राशि तुरन्त मौके पर ही निगम कोष में जमा करानी होगी। इसमें असफल रहने पर उसके द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि उसी दिन जब्त कर पुनः नीलामी की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता/फर्म को आगे नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य (ब्लैक लिस्टेड) कर दिया जायेगा जो कि नगर निगम जयपुर की किसी भी तरह की नीलामी में भाग नही ले सकेगा।
7. प्रथम, द्वितीय व तृतीय उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर शेष बोलीदाताओं की अमानता राशि बोली समाप्ति पर लौटा दी जावेगी। सफल बोलीदाता की 1/4 राशि जमा होने पर द्वितीय एवं तृतीय बोलीदाताओं की जमा अमानता राशि लौटा दी जावेगी।
8. पर्याप्त बोली राशि प्राप्त नही होने अथवा अन्य कारणों से नीलामी तिथि को आगे बढ़ाने का अथवा आगामी तिथि में जारी रखने का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा।
9. अनुज्ञापत्रधारी को शर्तों के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे।
10. पुलिस छतरियों व गुमटियों पर किसी भी तरह के अवैध विज्ञापन यथा अवैध प्रिंटिंग/लिखावट/बैनर्स लगाना, पोस्टर्स, पम्पलेट्स, पतंग, लोहे की शीट आदि पर किये गये अवैध विज्ञापनों को लगते ही तुरन्त हटवाने/पुतवाने का दायित्व ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का होगा अन्यथा नगर निगम जयपुर द्वारा उपरोक्त तरह के अवैध विज्ञापन हटवाने पर प्रति पुलिस छतरी 500 रू. एवं प्रति पुलिस गुमटी 500 रू. कैरिंग चार्ज आरोपित किया जायेगा व ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को उक्त अवैध विज्ञापन हटवाने की कैरिंग चार्ज राशि का नोटिस दिया जायेगा। नोटिस में उल्लेखित निर्धारित अवधि में राशि जमा नही कराने पर जमा अमानत राशि में से जारी किये गये नोटिस में उल्लेखित राशि की कटौती कर ली जायेगी। यदि इस तरह अमानता राशि से कैरिंग चार्ज की राशि वसूलने पर अमानता राशि समाप्त हो जाती है तो ठेका तुरन्त निरस्त कर दिया जायेगा व किसी अन्य को ठेका दिये जाने की पुनः नियमानुसार नीलामी कार्यवाही की जायेगी।
11. ठेका समाप्ति पर पुलिस छतरियां एवं गुमटियां नगर निगम जयपुर की सम्पत्ति होगी और सही हालत में जोन कार्यालयों को सम्भलवानी होगी।
12. पुलिस छतरियों के संबंध में दो ऊपरी एवं दो निचली साईड पर निगम द्वारा दी गयी ड्राईंग के अनुसार विज्ञापन करने का अधिकार अनुज्ञापत्रधारी को होगा। शेष भाग यातायात विभाग के श्लोगन के लिए आरक्षित रहेगा। अर्थात् अनुज्ञापत्रधारी (सफल बोलीदाता) द्वारा पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर 50 प्रतिशत हिस्से पर विज्ञापन एवं 50 प्रतिशत हिस्से पर ट्रेफिक पुलिस विभाग द्वारा जारी किये श्लोगन के लिए आरक्षित रखना होगा।
13. पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों को स्थापित करने हेतु पानी, बिजली व अन्य सुविधाओं, वस्तुओं की व्यवस्था अनुज्ञापत्रधारी को स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। नगर निगम जयपुर द्वारा इसके लिए कोई खर्चा अनुज्ञापत्रधारी को नही दिया जायेगा। पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों में बिजली कनेक्शन लेने एवं बिजली उपभोग के बिल का भुगतान अनुज्ञापत्रधारी को करना होगा।
14. नगर निगम जयपुर द्वारा अनुज्ञापत्रधारी को सुपुर्द की गयी पुलिस छतरियां व पुलिस गुमटियां ठेका समाप्ति के अगले दिवस अच्छी हालत में नगर निगम जयपुर के जोन कार्यालय को सुपुर्द करनी होगी। नगर निगम जयपुर द्वारा अनुज्ञापत्रधारी को सुपुर्द की गयी पुलिस छतरियों व पुलिस गुमटियों की चोरी हो जाने, टूट जाने, नष्ट हो जाने पर नगर निगम जयपुर द्वारा दी गयी ड्राईंग अनुसार नई बनवाकर सुपुर्द करनी होगी। यदि उपरोक्त अनुसार स्थिति होने पर नई पुलिस छतरी व पुलिस गुमटी नई बनवाकर सुपुर्द नही की जाती है तो नगर निगम जयपुर द्वारा तत्समय बाजार दर से बनने वाली मूल्याकंन राशि निर्धारित की जाकर, जमा अमानता राशि में से कटौती कर वसूल की जायेगी।
15. पुलिस छतरी एवं गुमटी की स्थापना के समय किसी तरह की फुटपाथ, रोड़, भूमि, टाइल्स आदि के नुकसान के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापत्रधारी जिम्मेदार होगा, नगर निगम जयपुर किसी भी तरह जिम्मेदार नही होगा।

P.T.O.

16. अनुज्ञापत्रधारी को पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों को अलग–अलग क्रम में नम्बर लिखकर सूचना नगर निगम जयपुर व यातायात पुलिस को देनी होगी। पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों पर क्रम संख्या लिखना अनिवार्य होगा अन्यथा बिना क्रम संख्या लिखी पुलिस छतरियों एवं गुमटियों को नगर निगम द्वारा विज्ञापन हटवा दिया जायेगा व ऐसी पुलिस गुमटियों व पुलिस छतरियों के संबंध में कैरिंग चार्ज राशि रू. 500/– जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया जायेगा, नोटिस में अंकित राशि, अनुज्ञापत्रधारी को जमा करवानी होगी अन्यथा जमा अमानता राशि में से नगर निगम जयपुर द्वारा कटौती कर ली जायेगी।

17. यातायात पुलिस विभाग द्वारा अथवा नगर निगम जयपुर द्वारा अतिरिक्त पुलिस छतरियां/यातायात पुलिस गुमटियां लगवाने का पत्र प्राप्त होने पर अनुज्ञापत्रधारी को नगर निगम जयपुर द्वारा दी गयी ड्राईंग अनुसार नई पुलिस छतरियां एवं नयी पुलिस गुमटियां बनवाकर स्थापित करनी होगी। जिसकी अनुपातिक राशि नगर निगम जयपुर में जमा करानी होगी जो कि ठेका राशि की अनुपातिक होगी व नगर निगम जयपुर द्वारा निर्धारित की जायेगी।

18. नीलामी किये जाने के पश्चात् पुलिस छतरी एवं गुमटी के लगाने में अड़चन हो तो अनुज्ञापत्रधारी को पुलिस विभाग से मिलकर अपनी समस्या का समाधान करना होगा। नीलामी किये जाने के बाद किसी भी कारणवश पुलिस छतरी व गुमटी नही लग पाती है या हटवा दी जाती है तो अनुज्ञापत्रधारी को आर्थिक हानि होने पर भी नगर निगम जयपुर द्वारा किसी भी प्रकार की राशि का रिफण्ड नही किया जायेगा।

19. नगर निगम जयपुर सीमा में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर यातायात पुलिस छतरियां एवं पुलिस गुमटियां लगी हुई है जिनकी सूची निगम वेबसाईटः www.jaipur.mc.org की होर्डिंग साईट पर देखी जा सकती है। यदि किसी योजना के कारण अथवा किसी अन्य कारण से यातायात पुलिस द्वारा दिये गये लिखित निर्देशानुसार पुलिस गुमटी/गुमटियां एवं यातायात पुलिस छतरी/छतरियां अन्यत्र शिफ्ट की गयी हो/हट गयी हो अथवा मौके पर नही हो तो अनुज्ञापत्रधारी को यातायात पुलिस के लिखित निर्देशानुसार गुमटी/गुमटियां एवं पुलिस छतरी/छतरियां स्वयं के खर्चे पर नयी बनवाकर स्थापित करनी होगी व शर्तोनुसार विज्ञापन एवं संधारण किया जायेगा। यातायात पुलिस द्वारा निगम वेबसाईटः www.jaipur.mc.org पर होर्डिंग में वर्तमान में अंकित पुलिस गुमटियों व पुलिस छतरियों के अतिरिक्त पुलिस गुमटियां व पुलिस छतरियां लगवाने का पत्र प्राप्त होने पर, अनुज्ञापत्रधारी को अतिरिक्त गुमटियां/छतरियां आवश्यक रूप से लगानी होगी परन्तु यातायात विभाग के पत्र की प्राप्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता (लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)) को अग्रिम प्रस्तुत करनी होगी फिर नगर निगम जयपुर की अनुमति पश्चात् ही गुमटियां एवं छतरियां लंगाई जा सकेगी व उन पर विज्ञापन किया जा सकेगा। उन पर किये गये विज्ञापन की राशि, खुली नीलामी से प्राप्त राशि की आनुपातिक राशि जो नगर निगम द्वारा निर्धारित की जायेगी अनुज्ञापत्रधारी को जमा करवानी होगी।

20. पुलिस छतरियों एवं गुमटियों पर अश्लील एवं आपत्तिजनक विज्ञापन को प्रदर्शित नही किया जा सकेगा।

21. अनुज्ञापत्रधारी का यह दायित्व होगा कि वह पुलिस छतरी एवं गुमटी को मजबूती से स्थापित करे ताकि किसी भी कारण अथवा प्राकृतिक विपदा जैसे आंधी, तूफान आदि की स्थिति में छतरी या गुमटी नहीं गिरे।

22. पुलिस छतरी अथवा पुलिस गुमटी गिरने से किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग/किसी चल व अचल सम्पत्ति का नुकसान होने पर नुकसान की भरपायी का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी स्वयं का होगा, नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नही होगी। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा यदि कोई पुलिस कार्यवाही करनी हो अथवा कोई न्यायिक कार्यवाही करनी हो तो स्वयं के स्तर पर करनी होगी। यदि अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मामला/वाद किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा दायर किया जाता है तो उसके संबंध में कार्यवाही का दायित्व अनुज्ञापत्रधारी का ही होगा, नगर निगम जयपुर की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

23. अनुज्ञापत्रधारी नगर निगम जयपुर (विज्ञापन) उपविधियां 2004 एवं जयपुर नगर निगम (विज्ञापन) (संशोधन) उपविधियां 2008 के प्रावधानों तथा राज्य सरकार/सक्षम अधिकारी/नगर निगम जयपुर द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। आदेशों की अपील माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी,, नगर निगम जयपुर को की जा सकेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा।

24. नीलामी की अंतिम बोली को नगर निगम जयपुर द्वारा स्वीकृति पश्चात राज्य सरकार के अनुमोदन पत्र प्राप्त होने पर ही सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/ठेकेदार को कार्यादेश जारी किया जा सकेगा। उसके बाद ही अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पुलिस छतरियों एवं पुलिस गुमटियों पर विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेगा।

25. नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।

26. अनुज्ञापत्रधारी उपरोक्त शर्तों की पालना करने के लिए बाध्य होगा एवं किसी भी एक या अधिक शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्रधारी का अनुज्ञापत्र, आयुक्त (राजस्व) (लाईसेंसिंग ऑथोरिटी) द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

27. इन शर्तों में संशोधन एवं परिवर्तन का अधिकार नगर निगम जयपुर को होगा तथा ऐसा संशोधन/परिवर्तन अनुज्ञापत्रधारी को मान्य होगा। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा पालना करनी होगी।

28. इस अनुज्ञापत्र के सम्बन्ध में कोई विवाद होता है तो उसका क्षैत्राधिकार जयपुर स्थित सक्षम न्यायालय में होगा।

29. लाईसेंन्स की शर्तों के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद होगा तो उसका अंतिम निर्णय वित्त समिति, नगर निगम जयपुर का होगा जो मान्य होगा।

15.6.13

लाईसेन्सिंग ऑथोरिटी एवं आयुक्त (राजस्व)
नगर निगम जयपुर